उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 08.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपदीय एसओजी एवं थाना श्रीनगर की संयुक्त पुलिस टीम ने संत शिरोमणि श्री रविदास जी की मूर्ति को क्षति पहुचाने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर/कल्टीवेटर बरामद–

थाना श्रीनगर क्षेत्रअन्तर्गत दिनांक 0607.11.2025 की रात्रि को मुहल्ला अमरैयन ग्राम सिजहरी थाना क्षेत्र श्रीनगर में स्थित सन्त शिरोमणि श्री रविदास जी की प्रतिमा को अराजकतत्वों द्वारा क्षति पहुंचायी गयी थी साथ ही वही समीप लगे साईन बोर्ड को भी उखाडकर तोड दिया था।

सूचना प्राप्त होते ही सभी वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर निरीक्षण एवं जाँच-पड़ताल की गई। तहरीर के आधार पर थाना श्रीनगर में मु0अ0स0 213/25 धारा 298/324(4) बीएनएस व 3(1) फ एससी एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया, जिसके क्रम में उक्त सामाजिक सद्भाव प्रभावित करने वाले अराजकतत्वों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी प्रभारी श्री शिवप्रताप सिंह एवं थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में गठित टीमों द्वारा सुरागरसी, पतारसी, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन व अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त 02 नफर अभियुक्तगण 1.निखिल राजपूत पुत्र मनोज कुमार उम्र करीब 21 वर्ष 2.बृजेन्द्र रैकवार पुत्र मोतीलाल उम्र 25 वर्ष निवासीगण ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा को सूरा चौकी के पहले सिजहरी रोड पर बन रहे नये हाईवे के अर्धनिर्मित पुल थाना क्षेत्र श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है, इस दौरान अभियुक्तों से घटना मे प्रयुक्त एक अदद ट्रैक्टर मैसी कम्पनी का व कल्टीवेटर(हल) की बरामदगी करते हुए उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. निखिल राजपूत पुत्र मनोज कुमार उम्र करीब 21 वर्ष 2. बृजेन्द्र रैकवार पुत्र मोतीलाल उम्र 25 वर्ष निवासीगण ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी- घटना मे प्रयुक्त एक अदद ट्रैक्टर मैसी कम्पनी का व कल्टीवेटर(हल) बरामद

संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवप्रताप सिंह प्रभारी एसओजी टीम महोबा
2. उ0नि0 विवेक यादव 3.कां0 दीपक वर्मा 4.कां0 रंजीत सिंह 5.कां0 निर्भय यादव
6. कां0 आशीष बघेल 7.कां0 अभिषेक दुबे 8.सत्यम सिंह जादौन

थाना श्रीनगर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह 2. व0उ0नि0 विजयबहादुर सिंह
3. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह 4. हे0का0 विनोद कुमार
5. का विवेक दिवाकर 6. का0 राघवेन्द्र सिंह

@MahobaPolice

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा फसल बीमा प्रकरण के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा फसल बीमा घोटाले से संबंधित मुकदमे में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना अजनर पुलिस द्वारा सूपा चौराहा के पास से अभियुक्त कृष्ण कुमार राजपूत पुत्र उदल, निवासी ग्राम बगरौन थाना चरखारी जनपद महोबा, उम्र 26 वर्ष,को गिरफ्तार किया गया तथा रेलवे स्टेशन बेलाताल बहद ग्राम जैतपुर बेलाताल के पास से अभियुक्त हर्षेन्द्र सिंह राजपूत उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 प्रभूदयाल, निवासी ग्राम किल्हौवा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा, उम्र 42 वर्ष, को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त अभियुक्तों को मु0अ0सं0 207/2025, धारा 318(4)/338/336(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS), थाना अजनर जनपद महोबा, से संबंधित फसल बीमा घोटाले में वांछित थे। उक्त प्रकरण में किसानों के नाम पर बीमा क्लेम की धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि उन्होंने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से फसल बीमा की राशि प्राप्त करने का प्रयास किया था। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्यपाल सिंह, थाना अजनर, जनपद महोबा
2. वरिष्ठ उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह
3. उपनिरीक्षक ऋषि शुक्ला
4. कांस्टेबल अमर द्विवेदी

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 08.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा में नियुक्त आरक्षी राहुल द्वारा गुमशुदा बैग बरामद कर सम्बन्धित को लौटाया गया।

आज दिनांक 08.11.2025 को आदेश कुमार अहिरवार पुत्र रामस्वरूप अहिरवार, निवासी कस्बा लोड़ी, जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश) द्वारा थाना कोतवाली नगर, महोबा पर सूचना दी गई कि उनका बैग कस्बा महोबा क्षेत्र में कहीं गुम हो गया है।

सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर में नियुक्त आरक्षी राहुल यादव द्वारा तत्परता एवं सक्रियता दिखाते हुए संबंधित व्यक्ति के बताए गए स्थानों पर तलाश की गई। प्रयासों के उपरांत उक्त व्यक्ति का बैग बरामद कर थाना पर लाया गया तथा बैग के अंदर रखे समस्त सामान की जांच कर सत्यापित किया गया।

सभी सामग्री सुरक्षित पाए जाने के उपरांत बैग आदेश कुमार अहिरवार को सुपुर्द किया गया। अपना सामान सकुशल वापस मिलने पर आदेश कुमार अहिरवार ने महोबा पुलिस के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया एवं पुलिस की सतर्कता, ईमानदारी व जनसेवा भावना की भूरि-भूरि प्रशंसा की।